बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

-:: आवश्यक सूचना::-

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) Abhay Kumar Patel & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors. एवं अन्य सदृश्य वाद में दिनांक- 06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी । संशोधित अनुशंसा में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 05 उम्मीदवार नये चयनित हुए ।

2. विभागीय ज्ञापांक-2449 दिनांक-13.04.2026 द्वारा नये चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का कार्यक्रम दिनांक-30.04.2026 को आयोजित किया गया । प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में कुल-01 अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं शेष 04 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे ।

3. उक्त तिथि को आहूत शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत् है:-

Sl.No.	Roll No.	Name
1	302624	BHUSHAN KUMAR
2	300763	NIMISHA PRIYA
3	301717	ANKIT KUMAR
4	302967	SNEHA KUMARI

अतएव पूर्व निर्धारित शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे सहायक अभियन्ता(असैनिक) के 04(चार) अभ्यर्थियों को द्वितीय अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के कॉउन्सिलिंग/सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख के साथ **दिनांक-29.05.2026 को नया सचिवालय, विकास भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना** के कार्यालय कक्ष में कार्यालय अवधि में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रमाण-पत्र जाँच के लिए निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे:-

1. मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र(Marksheet)/उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र ।
2. अभियंत्रण सिविल डिग्री का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो ।
4. अगर नियोजन हो तो नियोक्ता(Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र(No Objection Certificate) मूल प्रति में/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विरमन पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र ।
5. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ।(आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में) ।

कृ0पृ0उ0

e:\official document 13.11.2024\kamlesh ji file\ae 2025\counselling notice.docx

6. बिहार राज्य सरकार के नौकरियों के निमित्त अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र ।(पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में) ।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुशंसित अभ्यर्थी हेतु) ।
8. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0-03/2019 का प्रवेश-पत्र(Admit Card) (मूल प्रति में) ।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र(मूल प्रति में) ।
10. चरित्र प्रमाण-पत्र(संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत एवं छः माह से पूर्व का नहीं हो) ।
11. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र(दो प्रतियों में) । विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।
12. आधार कार्ड/निवार्चन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं संख्या(मूल प्रति में) ।
13. नवीनतम पासपोर्ट साईज का 04(चार) रंगीन फोटोग्राफ ।
14. विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिसमें इस आशय का उल्लेख हो कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है । विहित प्रपत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।
15. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र(मूल प्रति में) ।
16. दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ-पत्र(मूल प्रति में) ।
17. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र(दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में) ।
18. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के(नाती/नतिनी/पोता/पोती) संबंधी प्रमाण-पत्र(मूल प्रति में) ।

उपरोक्त कंडिका-1 से 18 तक में अंकित प्रमाण-पत्रों/सभी अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ दो सेट में ।

नोटः- 1. अगर उम्मीदवार उक्त प्रमाण-पत्रों के साथ जाँच हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अभ्यर्थित्ता(Candidature) के संबंध में नियमसंगत निर्णय लिया जायेगा ।

2. प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

3. किसी प्रकार की टंकण त्रुटि होने पर उसमें सुधार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

10

4. प्रमाण पत्रों के जाँच से संबंधित सत्यापन प्रपत्र एवं प्रमाण-पत्र से संबंधित विहित प्रपत्र एवं उपरोक्त निदेश विभागीय वेबसाईट https://mwrd.bih.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-05/2026 /पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- श्री भूषण कुमार(kumarbhushan896@gmail.com)/सूश्री/श्रीमती निमिषा प्रिया(nimishapriya2918@gmail.com)/श्री अंकित कुमार (ankit02226@gmail.com)/सुश्री/श्रीमती स्नेहा कुमारी(ksneha869@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-05/2026 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-05/2026 3196 /पटना, दिनांक- 13/05/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/05/2026

सरकार के अपर सचिव ।

e:\official document 13.11.2024\kamlesh ji file\ae 2025\counselling notice.docx